(c) whether Government have initiated to bring NGOs, Government organisations and individual conversationists on a common platform in the networking process of preservation of flora and fauna in the North-Eastern Region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) to (c) Government is sensitive to the challenges of preservation of flora and fauna of North Eastern region and has initiated many programmes for the purposes. Special measures for protection and conservation of India rhino, tiger, white-winged wood-duck, Asian elephant and their habitats have been taken. Endangered species of plants and animals have been identified by Botanical and Zoological Surveys for protection under Wildlife (Protection) Act, 1972 and Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Hunting of wild animals included in Schedule I to IV and collection of wild plant species covered under Schedule VI of the Wildlife (Protection) Act, 1972 from any forest land or specified area has been banned. Export of 29 plants or plant portions and their derivatives obtained from the wild is prohibited. Smuggling of wildlife products is checked through regional and sub-regional offices of Wildlife Preservation. A protected area network consisting of 12 national parks, 34 wildlife sanctuaries and 3 biosphere reserves has been established for the conservation of biodiversity. To promote awareness and make local NGOs/people participate in controlling loss of flora and fauna and degeneration of the environment, Paryavaran Vahinis at district level have been constituted under the chairmanship of the District Magistrate. These Vahinis comprise members drawn from local institutions and people and provide platform to conversationists (conservationists), NGOs and government system to network. The Ministry also provides financial assistance to non-governmental organisations for creation of environmental awareness leading inter alia to conservation of flora and fauna under the National Environmental Awareness Campaign (NEAC).

प्रदूषण की दृष्टि से विश्व में दिल्ली का स्थान

2002. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषण की दृष्टि से विश्व के महानगरों में दिल्ली का कौन-सा स्थान है, और

(ख) सरकार दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) "ग्लोबल पोल्यूशन एण्ड हैल्थ, 1988" पर यू.एन.ई.पी.- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली निलम्बित कणिकीय पदार्थ के मामले में 41 शहरों में से चौथा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है और सल्फरडाइआक्साइड के मामले में 54 शहरों में से 27वें स्थान पर है।

(ख) दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(1) पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और इसे कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए "पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण" स्थापित किया गया है।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(3) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 10 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्रों के माध्यम से वायु गुणवत्ता का मानीटरन।

(4) वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मुख्य सेक्टरों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों को हिदायत दी गई है कि वे इन निर्धारित मानकों का पालन करें।

(5) निर्माण स्तर पर वाहनों से उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन मानदण्डों को धीरे-धीरे कठोर बनाया गया है। ये मानदण्ड 9-1-1990 से लागू हुए और इससे अधिक कठोर मानक 1996 से लागू

किया गया 1.4.2000 से पेट्रोल और डीजल की सभी श्रेणियों के लिए एक बहुत सख्त उत्सर्जन मानक लागू किया जाएगा।

(6) सरकार ने स्वचालित वाहनों के ईंधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम तैयार किया है दिल्ली में 1-4-1995 से कैटेलिटिक कन्वर्टर-युक्त नए चार पहिया पैट्रोल वाहनों के प्रयोग के लिए सीसा रहित पैट्रोल शुरू किया था। दिल्ली में 0.25 प्रतिशत का निम्न सल्फर डीजल 15 अगस्त, 1997 से प्रारंभ किया गया है। निम्न गुणवत्ता के खुले तेल की बिक्री को रोकने के लिए खुदरा ईंधन पेट्रोल पंपों पर पूर्व-मिश्रित ईंधन तेल मिश्रण सप्लाई किया जा रहा है।

(7) उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों में सी॰एन॰जी॰ प्रोपेन और एल॰पी॰जी॰ जैसे साफ ईंधनों को शुरू करना।

(8) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शहरी डिजाइन की 1500 बसें शामिल करके सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने का प्रस्ताव है।

(9) प्रदूषण जांच, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ट्यूनिंग और "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 200 से अधिक निजी पेट्रोल पंपों और कार्यशालाओं को प्राधिकृत किया है। प्रदूषण जांच संबंधी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

(10) एक समकलिक सिगनल प्रणाली तथा बेहतर यातायात प्रबंध व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

(11) दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले अनेक उद्योग जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो अनुरूप नहीं हैं उन्हें बंद कर दिया गया है अथवा अनुकूल क्षेत्रों में पुन: स्थापित किया गया है।

(12) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शांत क्षेत्र) के लिए शोर के संबंध में परिवेशी मानक अधिसूचित किए गए हैं। तदनुसार दिल्ली शहर के लिए शांत क्षेत्र तैयार किए गए हैं।

(13) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रैशर हॉर्न पर पाबंदी लगाई गई है और संबंधित नियमों के अनुसार यातायात पुलिस द्वारा इनके उल्लंघन को रोका जा रहा है।

(14) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मोटर वाहनों और घरेलू उपकरणों के लिए निर्माण स्तर पर शोर की सीमा निर्धारित की गई है।

(15) दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ, राजघाट और बदरपुर तीन ताप विद्युत संयंत्रों में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स स्थापित किए गए हैं ताकि वातावरण में निलम्बित कणिकीय पदार्थ के बहिस्राव को कम किया जा सके। सल्फरडाइआक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड की व्यापक मात्रा में निकासी के लिए उसका उत्सर्जन विशिष्ट ऊंचाई की चिमनियों के द्वारा किया जाता है ताकि इन गैसीय प्रदूषकों के निचले स्तर पर होने वाले जमाव को नियंत्रण में रखा जा सके। चिमनियों के मानीटरन का कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

Stock of Foodgrains in the Central Pool

2003. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the present position with regard to stock of foodgrains in the Central Pool at present; and

(b) the preparation made by Government to meet the growing demand of rice and wheat by different States in the monsoon season for meeting the need of public distribution system, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) The stocks of foodgrains (rice & wheat) in Central Pool as on 31st may, 1998 are as under: